आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

प्रेस सारांश

मसौदा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2011, मसौदा माडल स्लम निवासियों को सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 2011 तथा सड़क विक्रेताओं के लिए केन्द्रीय कानून

नई दिल्लीः आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2011 को एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जिसमे मसौदा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2011, मसौदा माडल स्लम निवासियों को सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 2011 तथा सड़क विक्रेताओं के लिए केन्द्रिय कानून पर चर्चा हेतु सम्मेलन की अध्यक्षता कुमारी सैलजा, माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एवं सांस्कृतिक मंत्री ने की ।

I. <u>मसौदा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2011</u>

मसौदा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2011, एक विनियामक निरीक्षण प्रकटीकरण लागू तन्त्र की स्थापना, अचल सम्पत्ति क्षेत्र मे निष्पक्ष अभ्यास एवं जवाबदेही मानदंड प्रदान करना, विवादों के शीघ्र निवारण हेतु निर्णयादेश स्थापित करना चाहता है ।

यह अधिनियम संसद की समवर्ती सूची मे प्रमाणित शक्तियों मे कानून तैयार करना है। अर्थात कृषि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के हस्तांतरण अधिकार पत्र एवं दस्तावेजों का पंजीकरण और भागीदारी अनुबन्धों सहित, एजेन्सी, परिवहन के अनुबन्ध तथा ठेके के अन्य विशेष रूपों का कानून बनाना, लेकिन कृषि योग्य भूमि से संबंधित अनुबन्ध इसमे सम्मिलित नहीं है ।

विधेयक का उद्येश्य सम्पत्ति क्षेत्र मे अचल सम्पत्ति और आवास लेनदेन मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही गठन द्वारा जनमानस में विश्वास की पुनर्स्थापना करना है । वर्तमान मे सम्पत्ति क्षेत्र तथा आवास क्षेत्र में अधिकांशतः अनियमितता व अपारदर्शिता है । प्रायः उपभोक्ता खरीद की पूरी जानकारी करने मे अथवा बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के खिलाफ प्रभावी विनियमन के अभाव मे जवाबदेही लागू करने मे असमर्थ हैं । यह क्षेत्र हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं काले धन के स्त्रोत के रूप में उभरा है। विधेयक से उपभोक्ताओं के प्रति वृह्द् जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा धोखाधड़ी एवं विलबंन को कम करने की आशा की जाती है। उपरोक्त सभी घटक इस क्षेत्र के भ्रष्टाचार में वृहद छाप छोड़ेगा।

विधेयक से दक्षता, व्यावसायिकता और मानकीकरण के माध्यम से विनियमित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है । इसमें उपभोक्ता का बिना किसी अन्य स्थिति मे स्वीकृति पद्धति के हित संरक्षण प्रदान करना है ।